# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा–पत्र

उनवान ...कैलाश मीना... बनाम ...मदनलाल...

किस्म मुकदमा ...धारा 221 रेस्टो. प्रा. प... अकील संख्या ...2024/82...

अभिभाषक अपीलान्ट ...श्री हेमंत विजयवर्गीय... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...श्री रामकल्याण शर्मा...

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.3.25 | पत्रावली रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई है। उक्त पत्रावली अभिभाषक अपीलांट व अपीलांटगण के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2024 से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट उपस्थित। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नम्बर से कम किया जाकर पत्रावली के साथ सलंग्न किया जावे।<br><br>(दीप्ति रामचन्द्र मीना)<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा | |

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा, (राज0)

Reader
25/06/24

कैलाश मीणा पुत्र श्री गोपी लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम मेलखेडी तहसील एवं जिला कोटा हाल निवासी–कॉलेज रोड राजश्री एन्टरप्राईजेज के सामने बारां–राजस्थान मो0नं0 6376031209

–अपीलांट

बनाम

1. मदन लाल पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण, जाति किराड़ निवासी ग्राम बड़ा तहसील एवं जिला बारां–राजस्थान

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, राजस्थान

–रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां निर्णय दिनांक 26.01.2021 प्र0सं0 31/2019 अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र वास्ते रिस्टोर किये जाने अपील।

मान्यवर,

अपीलांट सादर निवेदन करता है।

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.04.2024 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपील अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है।
2. यह कि दिनांक 30.04.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति सद्भाविक एवं क्षमा योग्य है। फरवरी माह में प्रार्थी के परिवार में पुत्री का विवाह था उसके पश्चात प्रार्थी अचानक पीलिया रोग से ग्रसित हो गया । प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है,

..02..